



भारत सरकार

कार्यालय : आयकर आयुक्त— 1, पटना

द्वितीय तल, केन्द्रीय राजस्व भवन, वीरचंद्र पटेल मार्ग, पटना—800001.

दिनांक २७/२/२०१३

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के तहत आदेश

संस्था का नाम एवं पता:- कैवल सरकारी उच्च बान
रट - दूषी अमृत नगर

रोड नं० - १५, कैवल बान

(पुल) - पटना (बिहार)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए (1) उपधारा (बी) (I) में निहित शक्तियों के तहत उपरोक्त संस्था को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के उद्देश्यों के लिए निर्धारण वर्ष २०१३-१४ से पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण निम्न शर्तों के तहत न्याय संगत होगा।

- (i) संस्था/न्यास अपनी आय को पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेगी, जहाँ ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजन में प्रयोग किए जाने हेतु संचित की जाती है वहाँ उस परिणाम तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गई आय कुल आय का पद्धति प्रतिशत या अन्य कोई प्रतिशत जो समय-समय पर आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा, से अधिक नहीं होगी तथा यह आयकर अधिनियम की धारा 11 (2) की शर्तों का पालन करेगी।
- (ii) संस्था/न्यास अपने निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 11(5) निर्दिष्ट रूप से और पद्धति के अनुसार रखेगी।
- (iii) संस्था/न्यास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगी।
- (iv) संस्था/न्यास अपनी आय का कोई भी अंश किसी विशिष्ट धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लाभ हेतु प्रयोग नहीं करेगी।
- (v) संस्था/न्यास आयकर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) एवं (3) में विदिष्ट व्यक्तियों के लाभ हेतु अपनी किसी आय या सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगी।

(vi) किसी सामान्य लोकोपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना पूर्त प्रयोजन नहीं होगा, यदि उसमें किसी उपकरण या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारोबार वशी प्रकृति को कोई क्रियाकलाप अथवा किसी व्यापार, वाणिज्य या कारोबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप किया जाना अंतर्भुलित है, भले ही ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन अथवा उसके प्रतिधारण की प्रकृति कुछ भी हो। लेकिन अगर इन क्रियाकलापों से कुल प्राप्ति पूर्ववर्ती वर्ष में ₹० पच्चीस लाख या इससे कम हो तो उक्त प्रावेशन लागू नहीं होगा।

(vii) यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि संस्था/न्यास के क्रियाकलाप उसके उद्देश्यों से भिन्न, अथवा असंगत है अथवा संस्था/न्यास के क्रियाकलाप प्रामाणिक नहीं रहे तो आयकर अधिनियम की धारा 12एए (3) के अंतर्गत उक्त पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

पंजीकरण संख्या 156 / 2012-13

(एस० डी० झा)

आयकर आयुक्त-1, पटना

सं० सं०—आ.आ.-1/पटना/तक०/12एए/2012-13/ 2505-8

दिनांक 27-9-13

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सचिव/अध्यक्ष 3429/1/राम

2. संघुक्त/अपर आयकर आयुक्त, परिषेन्द्र - 1. ८८८ को इस आशय के साथ कि संस्था/न्यास का धारा 12एए के अंतर्गत पंजीकरण मात्र ही संस्था/न्यास का धारा 11 से 13 तक करमुकित के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्था/न्यास द्वारा दाखिल विवरणी तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुँचना है कि संस्था/न्यास करमुकित के लिए बांधित सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं। यदि संस्था/न्यास भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 13 तक निहित सभी बांधित शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो उसे करमुकित देय नहीं होगी तथा धारा 12एए (3) के अंतर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

3. सहायक आयकर आयुक्त, अंचल - 1. ८८८/

4. मुख्य आयकर आयुक्त-1, पटना

11 अक्टूबर 2013
(राम घन्द्र राम)

आयकर अधिकारी (तक०)
कृते : आयकर आयुक्त-1, पटना

